

अनुमोदन हेतु प्रारूप

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक 2016

संख्या-2/एम2-70-03/2014 गृ0आ0 /श्री मनीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक टेकारी, गया के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री सुशान्त कुमार सरोज, अपर पुलिस अधीक्षक, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, परन्तु पुलिस महानिदेशक के पत्र सं0-2904 दिनांक 18.04.2016 द्वारा श्री सुशील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना को इस मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनित किया गया है।

2. पुलिस महानिदेशक द्वारा श्री सुशील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना को इस मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-201 दिनांक 12.01.2015 द्वारा निर्गत विभागीय कार्यवाही में श्री सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक-2/एम2-70-03/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपि:- विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-2904 दि0 18.04.2016 के प्रसंग में/श्री सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना/श्री मनीष कुमार सिन्हा, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक टेकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि संकल्प की एक प्रति संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को तामिला कराने की कृपा की जाय तथा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/एम2-70-03/2014 गृ0आ0 3734 /पटना, दिनांक 12/5/2016

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर गृह विभाग, (आरक्षी शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।